भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **1330** जिसका उत्तर
शुक्रवार, **09 फरवरी**, **2024/20** माघ, 1945 (शक) को दिया जाना है

भारतीय समुद्री क्षेत्र का विकास

†1330. प्रो. रीता बहुगुणा जोशी :
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे :
श्री. कृष्णपाल सिंह यादव :
श्री. उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल :
डॉ. सुजय विखे पाटील :
डॉ. हिना विजय कुमार गावीत:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने भारतीय समुद्री क्षेत्र की वृद्धि और विकास में किस तरह से योगदान दिया है;
(ख) समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) समुद्री क्षेत्र में अंतर राष्ट्रीय सहयोग और संबंधों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(घ) भारत में तटीय पर्यटन और क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): सरकार ने पत्तन आधारित विकास का पोषण करने, लॉजिस्टिक लागत में कभी करने और आर्थिक वृद्धि मे तेजी लाने के उद्देश्य से सागरमाला कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम में मौजूदा पत्तनों और टर्मिनलों का आधुनिकीकरण, रोरो/रो-पैक्स एवं पर्यटन जेट्टियों का निर्माण, पत्तन संपर्कता में विस्तार, मत्स्यन बंदरगाह, कौशल विकास एवं प्रौद्योगिकी केंन्द्र आदि जैसे विभिन्न श्रेणी की परियोजनाएं शामिल हैं। सागरमाला कार्यक्रम के तहत कार्यान्वयन के लिए ~5.8 लाख करोड़ रु. के मूल्य निवेश की 839 से अधिक परियोजनाएं हैं। इनमें से 1.22 लाख करोड़ रु. मूल्य की 241 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इन परियोजनाओं का कार्यान्यवन संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, महापत्तनों द्वारा किया जा रहा है और इसमें पीपीपी, पत्तनों के आंतरिक संसाधनों और इक्विटी निवेश के तहत समर्थित परियोजनाएं शामिल

हैं। ऐसी परियोजनाओ को जिनका सामाजिक प्रभाव अधिक है किंतु जिनका कोई आंतरिक लाभ नहीं है अथवा जिनकी आंतरिक लाभ दरें कम हैं, उन्हें पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की सागरमाला योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। आज की तारीख तक आंशिक वित्तपोषण के लिए सागरमाला योजना के तहत 4525 करोड़ रु. मूल्य की कुल 171 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई है। 171 परियोजनाओं में से 55 परियोजनाएं पूरी की गई हैं।

(ख): सागरमाला कार्यक्रम की विभिन्न पहलों के अंतर्गत 60,000/- से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है जिनमें दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीयूजीकेवाई) अभिसारित, बहु-कौशल विकास केन्द्र, अलंग सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान और मैरीटाइम एवं पोत निर्माण उत्कृष्टता केन्द्र शामिल हैं।

(ग): सरकार ने मैरीटाइम क्षेत्र में बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय दोनों प्रकार के करारों और साथ ही संयुक्त मैरीटाइम बैठकों के माध्यम से विभिन्न देशों के साथ सहयोग किया है। इसके अतिरिक्त, सरकार अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन (आईएमओ) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जिसका, भारत एक सदस्य राष्ट्र है, में भागीदारी करते हुए सक्रिय रूप से भाग लेती है।

(घ): सरकार ने भारत में तटीय और क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें क्रूज जलयानों के लिए बर्थिंग प्राथमिकता, तर्कसंगत क्रूज प्रशुल्क दरें, क्रूज पोतों को उनके प्रवेश की मात्रा के आधार पर छूट प्रदान करना, आउटिंग प्रभार हटाना, सिंगल ई-लैंडिंग कार्ड, ई-वीज़ा और ऑन-अराइवल वीज़ा सुविधाएं और विदेशी क्रूज जलयानों के लिए कैबोटेज को समाप्त करना आदि शामिल है।

इसके अतिरिक्त, सागरमाला कार्यक्रम के तहत सरकार ने 57 अवस्थानों पर रो-पैक्स और यात्री फेरी सेवाओं के माध्यम से यात्रियों और कार्गो परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए 63 अवसंरचना परियोजनाओं का विकास शुरू किया है जिनमें से 10 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं और 4 अवस्थानों पर अब प्रचालन शुरू हो गया है। रो-पैक्स सेवाओं के माध्यम से विकसित संपर्कता ने माल और लोगों की बाधारहित आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के द्वारा तटीय क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को प्रेरित किया है और परिणामस्वरूप स्थानीय उद्योग और पर्यटन के विकास में योगदान दिया है।

*****